न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान मोनिका बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या – 132/2025
निर्णय दिनांक 07/11/2025

मोनिका पत्नी हर्ष टाक जाति नाई निवासी वार्ड नं. 01 तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि गांव गोगटिया पट्टा चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 20 के खसरा संख्या 218 तादादी 6.3225 है०, कृषि भूमि में खातेदार दर्ज है। उक्त कृषिभूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के पति का नाम हर्ष टाक की बजाय हनुमान प्रसाद अंकित है। जबकि वादी के पति का वास्तविक नाम हर्ष टाक के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में हनुमान प्रसाद चला आ रहा है। उक्त खातेदारी के अलावा अन्य दस्तावेजों यथा भारत का राजपत्र दिनांक 20.01.2024, आधार कार्ड, राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, जनाधार कार्ड, आदि में वादी के पति का नाम हर्ष टाक है जो कि सही है। नाम में भिन्नता होने के कारण वादी उक्त कृषि भूमि पर राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायताओं से वंचित हो रहा है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादी डिक्री फरमाया जावे कि कृषि भूमि गांव गोगटिया पट्टा चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 20 के खसरा संख्या 218 तादादी 6.3225 है० के राजस्व रिकार्ड मे वादी के पति का नाम हनुमान प्रसाद के स्थान पर हर्ष टाक दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने वादी का नाम मोनिका पत्नी हनुमान प्रसाद के स्थान पर मोनिका पत्नी हर्ष टाक करने की अभिशंषा की है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। वादी द्वारा साक्ष्य करवाने हेतु समय चाहा गया है।

वाद पत्र के समर्थन में वादी मोनिका ने शपथ पत्र प्रस्तुत किये एवं अपने बयान लेखबद्ध करवाये। साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराये गये।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादी के कथनों का गौर किया गया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज भारत का राजपत्र दिनांक 20.01.2024, आधार कार्ड, राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, जनाधार कार्ड में वादी के पति का नाम हर्ष टाक पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पति का नाम हनुमान प्रसाद अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही गोगटिया पट्टा चंगोई तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 20 के खसरा संख्या 218 तादादी 6.3225 है०, के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी के पति का नाम हनुमान प्रसाद **Delete** कर इसके स्थान पर हर्ष टाक अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/11/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)